भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 656

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016 को दिया गया)

<u>सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों के कार्य</u>

656. कर्नल सोनाराम चौधरी :
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :
श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री एम. के. राघवन :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री सी. एस. पुट्टा राजू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति मानदंड अधिसूचित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के आरंभ से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी कंपनियों द्वारा खर्चों और किए गए कार्यों का कंपनी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआर के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के संज्ञान में अनियमितताएं आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों के कार्यों और निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

.....2/-

(ङ) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्वारा कार्यों का चयन करते समय जन प्रतिनिधियों की सहायता नहीं ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): जी, हां। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी उपबंध 27.02.2014 को अधिसूचित किए गए हैं। ये अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध हैं। सीएसआर उपबंध की महत्वपूर्ण विशेषताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं -

- विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक टर्नओवर अथवा निवल मूल्य अथवा निवल लाभ वाली कंपनियों के लिए तत्काल पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना अपेक्षित है;
- ऐसी प्रत्येक कंपनी के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति गठित करना अपेक्षित है;
- ऐसी प्रत्येक कंपनी के बोर्ड के लिए कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना अपेक्षित है;
- बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित प्रपत्र में विनिर्दिष्ट ब्यौरे शामिल करते हुए सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल की जाएगी;
- यदि कंपनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल रहती है तो बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट राशि व्यय नहीं करने के कारण बताए जाएंगे;
- कंपनियां ट्रस्टों अथवा सोसायटियों अथवा धारा 8 कंपनियों आदि के माध्यम से अपनी सीएसआर नीति का कार्यान्वयन कर सकती हैं;
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन किसी कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले कार्यकलाप अधिनियम की अनूसूची-VII में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

.....3/-

(ख): उन 460 सूचीबद्ध कंपनियों के सीएसआर व्यय, जिन्होंने अपनी वेबसाइटों पर वार्षिक रिपोर्ट रखी है, दर्शाते हैं कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 409 निजी क्षेत्र कंपनियों ने 2014-15 के दौरान सीएसआर पर कुल 6,337 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जिसका सारांश नीचे दिया गया है -

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में) (2014-15)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60
2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76
योग		**460**	**6337.36**

इन 460 कंपनियों में से शीर्ष 20 कंपनियों का कंपनी-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में देखा जा सकता है। चलाई गई सीएसआर परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-II पर रखी गई है। कंपनियों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर किए गए सीएसआर व्यय संबंधी सूचना अनुलग्नक-III पर है।

(ग) से (ड.): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) और (4) के अनुसार कंपनी के बोर्ड को चलाए जाने वाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों का चयन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में) के अनुसार शीर्ष 20 कंपनियां

क्रम संख्या	**कंपनी का नाम**	**वास्तविक सीएसआर व्यय**
1.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	760.58
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	495.23
3.	इंफोसिस लिमिटेड	239.54
4.	टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड	219.00
5.	आईटीसी लिमिटेड	214.06
6.	एनटीपीसी लिमिटेड	205.18
7.	एनएमडीसी लिमिटेड	188.65
8.	टाटा स्टील लिमिटेड	171.46
9.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	133.31
10.	विप्रो लिमिटेड	132.70
11.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	113.79
12.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	102.06
13.	महिन्द्रा और महिन्द्रा लिमिटेड	83.24
14.	हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड	82.35
15.	लार्सन और टूब्रो लिमिटेड	76.54
16.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	71.69
17.	केयर्न इंडिया लिमिटेड	70.36
18.	नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	61.77
19.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	61.30
20.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	59.28
	कुल योग	**3542.09**

****

अनुलग्नक - II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सीएसआर परियोजनाएं

क्रम संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्रम संख्या	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	महाराष्ट्र	202	20.	बिहार	38
2.	गुजरात	111	21.	केरल	37
3.	तमिलनाडु	97	22.	हिमाचल प्रदेश	34
4.	कर्नाटक	95	23.	गोवा	23
5.	राजस्थान	89	24.	मणिपुर	23
6.	उत्तर प्रदेश	80	25.	अरुणाचल प्रदेश	22
7.	आन्ध्र प्रदेश	79	26.	चंडीगढ़	21
8.	पश्चिम बंगाल	79	27.	मेघालय	20
9.	मध्य प्रदेश	71	28.	सिक्किम	20
10.	दिल्ली	66	29.	त्रिपुरा	20
11.	हरियाणा	66	30.	नागालैंड	19
12.	उड़ीसा	54	31.	पुदुचेरी	19
13.	जम्मू एवं कश्मीर	52	32.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	18
14.	छत्तीसगढ	48	33.	दादर एवं नगर हवेली	18
15.	तेलंगाना	47	34.	दमन और दीव	17
16.	उत्तराखंड	47	35.	लक्ष्यद्वीप	17
17.	पंजाब	43	36.	मिजोरम	15
18.	असम	42		**योग**	**1790**
19.	झारखंड	41			

*****

अनुलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (वित्त वर्ष 2014-15)

क्रम संख्या	अनुसूची-VII में विषय	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	भूखमरी, गरीबी निवारण और स्वास्थ्य देखभाल	1421.66
2.	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल/जिविका सुधार	1462.60
3.	महिला/वृद्ध/बच्चे	219.27
4.	पर्यावरण सुस्थायित्व	1188.69
5.	कला एवं संस्कृति	539.83
6.	खेल विकास	454.91
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	125.32
8.	ग्रामीण विकास	724.32
9.	स्लम विकास	114.14
10.	स्वच्छ भारत कोष	42.64
11.	निर्मल गंगा कोष	15.49
12.	अन्य	28.5
	कुल योग	**6337.36**

*****